प्रेस नोट
*जनपद – संतकबीरनगर *
दिनाँक 09.03.2026

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 12 अभियुक्त गिरफ्तार
थाना महुली पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 151 वाहनों से 1,54,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया
आज दिनाँक 09.03.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 151 वाहनों से 1,54,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री अभयनाथ मिश्र* के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 09.03.2026 को थाना धनघटा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 104/2026 धारा 87/137(2)/64(2) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सुरजीत पुत्र महन्थ निवासी चपरा पूर्वी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को बिड़हरघाट से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 01.03.2026 को थाना धनघटा पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने मामले में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रामवशिष्ठ, का0 गौतम कुमार।
"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के मामलें में 03 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 7500 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 10.03.2026 को माननीय न्यायालय जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 03 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 7500 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
घटना विवरणः-

वादी मुकदमा श्री बसन्त पुत्र खदेरु निवासी नेतवापुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर दिनांक 14.06.2011 को तहरीर दिया गया कि अभियुक्तगण 01. बुझारत पुत्र ढोढई, 02. धर्मवीर पुत्र बुझारत 03. वीरवा उर्फ रामवीर पुत्र बुझारत निवासीगण नेतवापुर थाना धनघटा के विरुद्ध मारपीट करने व गाली गलौज करने तहरीर के आधार पर थाना धनघटा पर अभियोग पंजीकृत कर उ0नि0 श्री बसन्तलाल द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

एनसीआर नं0 177/2011 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 3323/504/506 भा0द0वि0 के अपराध में न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 2500-2500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 07-07 दिवस का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।